

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 11/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/89

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. मुफतलाल पुत्र छोगाराम कुमावत निवासी 19 ओझा का बास पाली (हाल प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स मुफतलाल नमकीन वाला (फेमस फाफड़ा वाला) गुलजार चौक पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 19/03/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 31.01.2025 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मुफतलाल नमकीन वाला, गुलजार चौक पाली पर पहुंचे। मौके पर मुफतलाल उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान कंचन पुत्री मुफतलाल, निवासी 19, ओझा का बास, पाली एवं मुकेश बंजारा पुत्र भीमाराम, साण्डियों भाटों का ढाणा, बागडिया, दुदिया की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के पाये गये, जिनसे मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से नमकीन बनायी जा रही थी। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डर का उपयोग



*(Handwritten signature)*

अति. जिला कलेक्टर पाली

रुकवाया जाकर मौके पर पाली मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

सारणी-1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.600	15.600	0.000	081550
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	16.000	16.000	0.000	720175
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	16.200	15.000	0.400	83326 B
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	29.700	15.700	14.000	42549
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.800	15.800	0.000	257202
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	16.200	16.200	0.000	00957
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.900	15.900	0.000	31621

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मनोज कुमार पुत्र घेवरराम, निवासी 188, महाराणा प्रताप नगर, गर्ल्स स्कूल के पास, पाली हाल मैनेजर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मय गैस को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उपरोक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के रिश्तेदारों के हैं, जो उम्रदराज है तथा वह बिल्डिंग में उपरी मंजिल पर रहते हैं, जिससे उन्हें सिढिया चढ़ने पर परेशानी होती है इस कारण उपरोक्त गैस सिलेण्डर केवल मात्र गैस कम्पनी से भरवाने हेतु रखे गये थे। अप्रार्थी द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान में नहीं किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जो गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है वह विधिविरुद्ध है, इसलिये जब्त सुदा गैस सिलेण्डरों को पुनः अप्रार्थी को लौटाये जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स



अति. जिला क्लेक्टर. पाली

मुफतलाल नमकीन वाला, गुलजार चौक पाली पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान कंचन पुत्री मुफतलाल, निवासी 19, ओझा का बास, पाली एवं मुकेश बंजारा पुत्र भीमाराम, साण्डियों भाटों का ढाणा, बागडिया, दुदिया की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के पाये गये जिनसे मौके पर नमकीन बनायी जा रही थी अर्थात् अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उनके द्वारा उक्त जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 07 गैस सिलेण्डर को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खादय एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा. ले./नीति/6A/89 जयपुर दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला क्लेक्टर, पाली

